न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 33/2021

1. रायसिंह पुत्र धर्मचंद जाति जाट निवासी जिगासरी बडी त0 भादरा।

:- वादी

ब ना म

1. धर्मचंद पुत्र खूबीराम जाति जाट निवासी जिगासरी बडी त0 भादरा।
2. माया पत्नी स्व0 रमेश कुमार जाति जाट निवासी जिगासरी बडी त0 भादरा।
3. संदीप कुमार आयु 12 वर्ष पुत्र स्व0 रमेश कुमार जाति जाट निवासी जिगासरी बडी त0 भादरा नाबालिगान जरिये कुदरती वली माता माया पत्नी स्व रमेश कुमार जाति जाट निवासी जिगासरी बडी त0 भादरा।
4. अजय कुमार आयु 11 वर्ष पुत्र स्व0 रमेश कुमार जाति जाट निवासी जिगासरी बडी त0 भादरा नाबालिगान जरिये कुदरती वली माता माया पत्नी स्व रमेश कुमार जाति जाट निवासी जिगासरी बडी त0 भादरा।
5. सुनीता पुत्री धर्मचंद पत्नी शंकर लाल जाति जाट निवासी जिगासरी बडी त0 भादरा हाल ढाणी रंधावा त0 व जिला सिरसा।
6. राजबाला पुत्री धर्मचंद पत्नी सतबीर जाति जाट निवासी जिगासरी बडी त0 भादरा हाल ढाणी रंधावा त0 व जिला सिरसा।
7. बैंक आईसीआईसीआई शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री पूनमचंद वर्मा **: वादी**
वकील श्री अक्षय कुमार वर्मा **: प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 23/02/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा जिगासरी बडी के खाता सं0 101/24 के खसरा [illegible] की 4.969है0, खसरा सं0 3 की 2.124है0, खसरा सं0 10 की 3.010है0, खसरा सं0 12 की 6.526है0 [illegible] 56 की 2.845है0, खसरा सं0 65 की 4.641है0, खसरा [illegible] की 2.466है0, खसरा [illegible] 224 की 4.452है0 कुल 30.933है0 बारानी खातेदारी में [illegible] 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी [illegible] खातेदारी हुआ करती थी। खूबीराम से विरासतन उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 [illegible]चंद ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:33:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

Scanned with CamScanner

जाता है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखासमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 6 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। व प्रतिवादी सं 7 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु रायसिंह पुत्र धर्मचंद जाति जाट निवासी जिगासरी बडी के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम जिगासरी बडी खाता सं0 101/24 संवत 2072–75 प्रदर्श 1, दादालाई जमाबंदी रोही जिगासरी बडी प्रदर्श 2 वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत गुन्दडिया बडा 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने जिगासरी बडी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 3 में वारिसप्रमाण पत्र में धर्मचंद के दो पुत्र रायसिंह व रमेश कुमार व दो पुत्री सुनीता व राजबाला के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। **चुंकि रमेश कुमार की मृत्यू होने के कारण रमेश के जायज वारिसान में माया पत्नी स्व0 रमेश कुमार, संदीप कुमार पुत्र स्व0 रमेश कुमार, अजय कुमार पुत्र रमेश कुमार)** । वाद भूमि रोही मोजा जिगासरी बडी के खाता सं0 101/24 के खसरा सं0 2 की 4.869है0, खसरा सं0 3 की 2.124है0, खसरा सं0 10 की 3.010है0, खसरा सं0 12 की 6.526है0, खसरा सं0 56 की 2.845है0, खसरा सं0 65 की 4.641है0, खसरा सं0 111 की 2.466है0, खसरा सं0 224 की 4.452है0 कुल 30.933है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 धर्मचंद के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में से वादी का 2/15 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 का 1/15 व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 का संयुक्त रूप से 2/15 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। चूकिं प्रतिवादी सं 5 व 6 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा जिगासरी बडी के खाता सं0 101/24 के खसरा सं0 2 की 4.869है0, खसरा सं0 3 की 2.124है0, खसरा सं0 10 की 3.010है0, खसरा सं0 12 की 6.526है0, खसरा सं0 56 की 2.845है0, खसरा सं0 65 की 4.641है0, खसरा सं0 111 की 2.466है0, खसरा सं0 224 की 4.452है0 कुल 30.933है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 धर्मचंद के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में से वादी का 2/15 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 का 1/15 व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 का संयुक्त रूप से 2/15 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चुंकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:33:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी सं0 5 व 6 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी रायसिंह व प्रतिवादी सं0 1 धर्मचंद, **प्रतिवादी सं0 2 माया पत्नी स्व0 रमेश कुमार, प्रतिवादी सं0 3 संदीप कुमार, प्रतिवादी सं0 4 अजय कुमार नाबालिगान जरिये कुदरती वली माता माया पत्नी स्व0 रमेश कुमार** हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23-02-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:33:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 33/2021

1. रायसिंह पुत्र धर्मचंद जाति जाट निवारी जिगासरी वडी त0 भादरा।

:— वादी

ब ना म

1. धर्मचंद पुत्र खूबीराम जाति जाट निवारी जिगासरी वडी त0 भादरा।
2. माया पत्नी स्व0 रमेश कुमार जाति जाट निवासी जिगासरी वडी त0 भादरा।
3. संदीप कुमार आयु 12 वर्ष पुत्र स्व0 रमेश कुमार जाति जाट निवासी जिगासरी वडी त0 भादरा नाबालिगान जरिये कुदरती वली माता माया पत्नी स्व रमेश कुमार जाति जाट निवासी जिगासरी वडी त0 भादरा।
4. अजय कुमार आयु 11 वर्ष पुत्र स्व0 रमेश कुमार जाति जाट निवासी जिगासरी बडी त0 भादरा नाबालिगान जरिये कुदरती वली माता माया पत्नी स्व रमेश कुमार जाति जाट निवासी जिगासरी बडी त0 भादरा।
5. सुनीता पुत्री धर्मचंद पत्नी शंकर लाल जाति जाट निवासी जिगासरी वडी त0 भादरा हाल ढाणी रंधावा त0 व जिला सिरसा।
6. राजबाला पुत्री धर्मचंद पत्नी सतबीर लाल जाति जाट निवासी जिगासरी बडी त0 भादरा हाल ढाणी रंधावा त0 व जिला सिरसा।
7. बैंक आईसीआईसीआई शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट—ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पूनमचंद वर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री अक्षय कुमार वर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा जिगासरी बडी के खाता सं0 101/24 के खसरा सं0 2 की 4.869है0, खसरा सं0 3 की 2.124है0, खसरा सं0 10 की 3.010है0, खसरा सं0 12 की 6.526है0, खसरा सं0 56 की 2.845है0, खसरा सं0 65 की [illegible] 2.466है0, खसरा सं0 224 की 4.452है0 कुल 30.933है0 बारानी खातेदारी [illegible] सं0 1 धर्मचंद के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज [illegible] प्रतिवादी सं0 1 का 1/15 व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 का संयुक्त [illegible] हिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी सं0 5 व 6 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के पक्ष में त्याग कर शुन्य [illegible] लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी रायसिंह व प्रतिवादी सं0 1 धर्मचंद, **प्रतिवादी सं0 2 माया पत्नी**

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:33:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

...व0 रमेश कुमार, प्रतिवादी सं0 3 संदीप कुमार, प्रतिवादी सं0 4 अजय कुमार नाबालिगान जरिये कुदरती वली माता माया पत्नी स्व0 रमेश कुमार हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन कर

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23-02-21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहा० (सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रैक) भादरा R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:33:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner